चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 25-11-1990 को हुई सम्पन्न बैठक (79वीं) की कार्यवाही ।

मद सं01- प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 22-5-90 व 30-6-90 को सम्पन्न हुई बैठक की कार्यवाहियों का अनुमोदन ।

निर्णय:

मद सं078:3- अनुमोदन नहीं किया गया और यह निर्णय लिया गया कि एक 3 सदस्यों की समिति गठित की जाय जो पहले की गयी नियुक्तियों के बारे में अध्ययन करेगी । इस समिति के सदस्य निम्न है :-

(1) डा0एम0डी0पाठक, महानिदेशक, [struck] उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ - अध्यक्ष ।

(2) चौ0 विक्रम सिंह, ग्राम पो0- सैदपुर, बुलन्दशहर । - सदस्य

(3) डा0 किरण सिंह, सहायक महानिदेशक(एनीमल साइंस), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली । - सदस्य

यह समिति नियुक्ति सचिव के परिपत्र जिसके द्वारा राज्याधीन पदों पर रोक लगायी गयी थी का अध्ययन करेगी । यह समिति माननीय उच्चतम न्यायालय के क्लास-। अफीसर्स के विषय में निर्णय दि26.2.90 को भी अध्ययन करेगी और सैलेक्ट किये गये सभी नियुक्तियों की पूर्ण प्रक्रिया का प्रतिलोकन करके 31-12-90 तक अपनी रिपोर्ट बोर्ड को देगी ।

मद सं078:4- अनुमोदित किया गया ।

मद सं078:5- अनुमोदित किया गया ।

मद सं078:6- इस अभ्युक्ति के साथ अनुमोदित किया गया कि श्री अचल सिंह जो प्रबन्ध मण्डल के सदस्य थे का कार्य-काल समाप्त हो जाने के बाद उनके स्थान पर श्री अतर सिंह यादव, सदस्य प्रबन्ध मण्डल, ग्रा0बाजरा हाट, पो0 हरदोई जिला इटावा को सदस्य नामित किया गया ।

मद सं078:7- अनुमोदित किया गया ।

मद सं02- श्री अवध नाथ सिंह, फार्म मैनेजर को यू0जी0सी0वेतनमान दिया जाना ।

प्रबन्ध मण्डल ने निर्णय लिया कि डा0 अवध नाथ सिंह को यू0जी0सी0 वेतनमान देय नहीं है ।

मद सं03- विश्वविद्यालय में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों पर हो रहे व्यय भार पर नियंत्रण हेतु विचार ।

अनुमोदित किया गया तथा निर्णय लिया गया कि ~~[struck]~~ भविष्य में कोई भी कर्मचारी अपरिहार्य परिस्थितियों में ही दैनिक वेतन पर ~~[struck]~~ रखा जायेगा। ~~तथा भविष्य में दैनिक वेतन इत्यादि पर रखे कर्मचारियों के विषय में मार्ग तय करने के लिये एक समिति गठित गठित कर दी जाय।~~

श्री आनंद 2.6.11.90

25/11/90

क्रमशः -----2

मद सं04- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से प्राप्त योजनाओं को विश्वविद्यालय से उपलब्ध करायी गयी इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं का एक उचित अंश उनसे प्राप्त धन से पूरा किया जाना।

वापस लिया गया अतः इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका।

नये प्रस्ताव

मद सं01- प्रबन्ध मण्डल द्वारा गठित वित्त उपसमिति की बैठक दिनांक 25-8-1990 की कार्यवाही का अनुमोदन।

अनुमोदित किया गया।

मद सं02- कुलसचिव कार्यालय के स्टैटिस्टीशियन के पदनाम में परिवर्तन का प्रस्ताव।

अनुमोदन नहीं किया गया।

मद सं03- विश्वविद्यालय में उप कुलसचिव के पद का सृजन।

प्रबन्ध मण्डल ने इस शर्त के साथ अनुमोदित कर दिया कि इसको शासन का अनुमोदन मिल जाय।

मद सं04- **To consider amendment tothe age of retirement on superannuation.**

अनुमोदन नहीं किया गया।

मद सं05- माधुरीकुण्ड प्रक्षेत्र, मथुरा पर कार्यरत वैज्ञानिकों/कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई-लिखाई हेतु माधुरीकुण्ड प्रक्षेत्र से मथुरा शहर आने-जाने हेतु वाहन व्यवस्था का प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदन।

अनुमोदित किया गया।

मद सं06- कानपुर/मथुरा प्रांगण हेतु दो पद प्रशासनिक अधिकारी, वेतनमान रु0 3000-4500 में सृजन का प्रस्ताव।

अनुमोदित किया गया बशर्ते शासन का अनुमोदन प्राप्त हो जावे।

मद सं07- चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर की सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा विश्वविद्यालय आवास खाली न करने पर किराये का निर्धारण।

यह निर्णय लिया गया कि शासनादेश संख्या-8004/32-2-88 दिनांक 24-12-88 का सख्ती के साथ पालन किया जाय और यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी/कर्मचारी को सेवा निवृत्त होने या उसका स्थानान्तरण होने पर उसको हर हालत में एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया आवास खाली करना पड़ेगा तथा विश्वविद्यालय का सुरक्षा स्टाफ इस कार्यवाही में सहयोग करेगा। रिक्त आवासों का पात्र कर्मचारियों को तत्काल आवंटन कर दिया जाये। एवं आवंटी की विद्युत व जल आपूर्ति बंद कर दी जावे।

मद सं08- चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर की शैक्षिक परिषद (**Academic Council**) द्वारा लिये गये निर्णयों को निरस्त करने का विशेषाधिकार (**Veto Power**) कुलपति को प्रदान करने या उचित निर्णयार्थ कुलाधिपति महोदय को भेजने का प्रस्ताव।

इस अभियुक्ति के साथ अनुमोदित किया गया कि कुलपति महोदय ऐसे मामलों को कुलाधिपति महोदय को सन्दर्भित कर दिया करें।

मद सं09- डा0 जे0 सक्सेना, सहप्राध्यापक को प्राध्यापक एवं [illegible], [illegible] वैज्ञानिक के पद पर प्रबन्ध मण्डल के निर्णय दिनांक 30-6-90 पर पुनः विचार का प्रस्ताव।

इस पर निर्णय स्थगित किया गया।

मद सं010- डा0 आर0 एस0 भाटिया, [illegible] असिस्टेंट प्रोफेसर [illegible] जुलाई 1990 तक (2-8-88 से 31-7-90 तक) और [illegible] के प्रस्ताव पर विचार।

अनुमोदित किया गया किन्तु इसके lien कायम न रहेगा।

25/10/90

मद सं0 11- चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक के परीक्षण हेतु जाँच समिति की आख्या का **अनुमोदन** ।

अनुमोदित किया गया साथ ही मथुरा कैम्पस की दयनीय दशा पर चिंता व्यक्त की गयी तथा यह बताया गया कि मथुरा कैम्पस को जितना बजट एलाट किया जाता है वह आवश्यकता से बहुत ही कम है । अध्यक्ष महोदय ने बताया कि इस बार मथुरा कैम्पस को विभागवार बजट एलाट किया गया है ।

मद सं0 12- अधिनियम की धारा-36 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन जारी अधिसूचना/आदेश की सूचना ।

अवलोकित किया गया ।

मद सं0 13- चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के सस्य विज्ञान विभाग में उपलब्ध विद्युत चालित डाइजेशन चैम्बर पूरा को राइट आफ करने के लिये औपचारिक अनुमोदन ।

इस अभ्युक्ति के साथ अनुमोदित किया गया कि बचे हुए सामान को नीलाम कर दिया जाय ।

मद सं0 14- 14वीं मृदा विज्ञान अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस में डा0 के0 एस0 राठी को दिनांक 11-8-90 से 19-8-90 तक भाग लेने की अनुमति प्रदान करने पर विचार ।

अनुमोदन किया गया किन्तु भविष्य में पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुरूप एक निश्चित वैज्ञानिकों को ही यह सुविधा प्रदान की जाय ।

मद सं0 15- श्री सुरजीत सिंह, सहायक प्राध्यापक, सस्य विज्ञान विभाग को यू0जी0सी0 वेतनमान रु0 700-1600 में वित्तीय नियम संग्रह 2 से 4 के मूल नियम 27 तथा विश्वविद्यालय अधिनियम के परिनियम सम्बन्धी अध्याय 21 के उप-नियम-2 (डी) के अधीन 5 अग्रिम वेतन वृद्धियाँ (**Five advance increments**) स्वीकृत किये जाने पर विचार ।

अनुमोदन नहीं किया गया ।

मद सं0 16- डा0 हरि गोबिन्द सिंह, अधिष्ठाता, कृषि संकाय की कुलपति पद पर नियुक्ति के फलस्वरूप दिनांक 31-7-1990 से तीन वर्ष का धारणाधिकार सुरक्षित रखे जाने पर विचार ।

इस अभ्युक्ति के साथ अनुमोदित किया गया कि डा0 सिंह का लियन उस पद पर माना जायेगा जिस पद पर वह स्थायी हैं ।

मद सं0 17- वर्ष 1985-86 से 1989-90 तक हुये व्ययाधिक्य को समायोजित करने एवं वर्ष 1990-91 के लिये पूंजीगत मदों हेतु अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने पर विचार ।

अनुमोदित । शासन को लिखा जाय ।

मद सं0 18- डा0 घनश्याम सिंह, जूनियर साइंटिस्ट/असिस्टेन्ट प्रोफेसर को दिनांक 16-11-90 से दो वर्ष के लिये अतिरिक्त धारणाधिकार सुरक्षित रखे जाने पर विचार ।

इस शर्त के साथ अनुमोदित कि डा0 सिंह का धारणाधिकार दो वर्ष का न बढ़ा कर एक वर्ष का बढ़ाया जाय ।

मद सं0 19- डा0 बी0 आर0 गुप्ता, सह-प्राध्यापक (स्वायल माइक्रोबायलाजी), कृषि रसायन एवं मृदा विज्ञान विभाग, क्योटो (जापान) में अगस्त 12-18, 1990 तक होने वाली 14वीं अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस आफ स्वायल साइंस में शोध पत्र प्रस्तुत करने एवं कांग्रेस में भाग लेने पर होने वाले व्यय की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव ।

अनुमोदित । यह मत व्यक्त किया गया कि कुलपति व्यय पर नियंत्रण रखें और किसी वैज्ञानिक को विदेश भेजने पर कोई **adhocism** नहीं होना चाहिये । इसके अतिरिक्त बाई रोटेशन अप्रूवल (**by rotation approval**) लेने की परम्परा को बढ़ावा नहीं दिया जाय ।

क्रमशः---------4

25/11/98

मद सं020- भारतीय कृषि शोध परिषद द्वारा वित्त पोषित आलू योजना एवं मिलेट योजना में समाप्त किये गये पदों को पुर्नजीवित करने का प्रस्ताव ।

अनुमोदन नहीं किया गया । यह भी निर्णय लिया गया कि निर्णय पर पुर्नविचार की कोई गुंजाइश नहीं है । यह मामला बार-बार प्रबन्ध मण्डल की बैठक में न रखा जाय । अन्य मदों पर भी जिन्हें एक बार परिषद के द्वारा अस्वीकार कर दिया जाय दुबारा इस तथ्य को छिपाकर प्रस्तुत न किया जाय।

मद सं021- डा0 एम0 पी0 सिंह, आचार्य, वेटेरीनरी पब्लिक हेल्थ, वेटेरीनरी कालेज, मथुरा के ब्राजील कांग्रेस में दिनांक 15-10-89 से 21-10-89 तक भाग लेने तथा उस पर व्यय होने वाली धनराशि का अनुमोदन ।

अनुमोदित किन्तु भविष्य के लिये कुछ बजट प्राविधान सुनिश्चित कर लिया जाय उसके अंतर्गत रहते हुये ही इस प्रकार के व्यय किये जावें। B

मद सं022- **Approval of ICAR Adhoc Scheme "Economising Nitrogen use through Azolla Biofertilizer in Rice-Wheat Cropping System.**

अनुमोदित ।

मद सं023- डा0 समीर पाल, सह-प्राध्यापक (मृदा एवं कृषि रसायन विज्ञान विभाग), एन0ए0आर0पी0, भरारी (झांसी) को दिनांक 1-6-1990 से पोस्ट-डाक्टरल रिसर्च प्रोग्राम करने हेतु यू0एस0ए0 एवं कनाडा में सम्मिलित होने पर विचार ।

अनुमोदित किन्तु भविष्य में निश्चित रूप से केवल के अनुरूप ही वैज्ञानिक स्वीकृत प्रोग्राम में विदेश भेजे जावें। B

मद सं024- वित्त एवं लेखा कार्यों हेतु कार्यालय एवं विश्वविद्यालय के अन्य अनुभागों / फार्मों आदि से स्टाफ के प्रयोग की अनुमति का प्रसताव ।

अनुमोदित नहीं किया गया ।

मद सं025- डा0 बी0 सी0 पाल, सीरोलाजिस्ट, माइकोप्लाजमा परियोजना, जीवाणु विज्ञान विभाग, वेटेरीनरी कालेज, मथुरा द्वारा इस्तानबुल (तुर्की) में दिनांक 8 से 12 जुलाई, 1990 तक आयोजित होने वाली 8वीं अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी में शोध पत्र प्रस्तुत करने की स्वीकृति हेतु प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदनार्थ एजेन्डा ।

इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि यह यात्रा कुलपति महोदय द्वारा पहले से अनुमोदित की गई हो।।

मद सं026- डा0 रमा कान्त सिंह, कनिष्ठ वैज्ञानिक, कृषि अर्थशास्त्रको बैंकाक में सम्पन्न हुए द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय मुंगबीन सिम्पोजियम में शोध पत्रप्रस्तुत करने एवं भाग लेने पर आये यात्रा व्यय के भुगतान के निमित्त माननीय कुलाधिपति महोदय के आदेशानुसार पुर्नविचार एवं स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

अनुमोदित नहीं किया गया क्योंकि यह प्रकरण इससे पूर्व प्रबंध परिषद अस्वीकार कर चुकी है। B

मद सं027- डा0 आर0पी0सिंह, सीनियर फार्म मैनेजर को दी गयी चरित्र पंजिका में प्रविष्ठि तथा एक वर्ष की वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के आदेश को संशोधित किये जाने के प्रस्ताव पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने काफी विचार विमर्श करने के पश्चात प्रत्यावेदन को निरस्त कर दिया ।

मद सं028- डा0 जे,पी0लवानिया, प्रवक्ता सर्जरी विभाग, वेटेरीनरी कालेज, मथुरा के आबधावी, विदेश सेवा में, प्रतिनियुक्ति के समय दिनांक 1-8-90 से 31-7-92 तक(दो वर्ष) अतिरिक्त असाधारण अवकाश स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव ।

अनुमोदित नहीं किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि डा0 लवानिया को सूचित कर दिया जाय कि उनका लियन समाप्त किया जाता है ।

25/11/90

पूरक विषाय सूची

अध्यक्ष की अनुमति से प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्तावो की सूची ।

मद सं0पू01- चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के अधिनियमों एवं परिनियमों के अन्तर्गत परिनियम के अध्याय-13" स्टाफ की नियुक्ति के अन्तर्गत निहित अधिकारियो में संशोधन का प्रस्ताव ।
प्रस्तुत प्रस्ताव में से केवल धारा 4 बी में संशोधन को अनुमोदित किया गया और अग्रिम कार्यवाही हेतु शासन को ~~संशोधित बजट भेजने को~~ सन्दर्भित किया जाने का निर्णय लिया गया।

मद सं0पू02- चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के कानपुर एवं मथुरा प्रागण के विभागाध्यक्षो को प्रदत्त आहरण एवं वितरण के ~~xxxxxxxxxxxxxxxx~~ अधिकारो को प्रदत्त किये जाने के लिये कुलपति महोदय को पुर्नविचार हेतु अधिकार दिये जाने का प्रस्ताव ।
आहरण एवं वितरण सम्बन्धित संशोधित व्यवस्था के प्रस्ताव अनुमोदित किये गये ।

मद सं0पू03- प्रबन्ध मण्डल में प्रस्तुत किये जाने के पहले कुलपति ने प्रस्ताव को वापस ले लिया ।

मद सं0पू04- चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के कुलपति को पूर्ण सुसज्जित निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव ।
प्रस्तुत प्रस्ताव इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदित किया गया कि कुलपति को रु020,000/- की धनराशि वार्षिक सीमा तक व्यय पर सुसज्जित आवास उपलब्ध कराया जाय ।

मद सं0पू05- विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउसो की किराया दरो का पुनः निर्धारण ।
विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउसों की प्रस्तावित किराये की दरो को प्रबन्ध मण्डल ने निम्नलिखित संशोधन के साथ अनुमोदित किया :-

(1) छोटा हाल रु01500/- प्रति दिन ।
(2) बडा हाल रु03,000/- प्रति दिन ।
(3) डारमेटरी रु015/- प्रति दिन प्रति व्यक्ति एवं वातानुकूलित कक्ष रु030/- प्रति दिन । यह पुनरीक्षित दरे दिनांक 1 जनवरी 1991 से लागू होगी । रिसेप्शन आफीसर का प्रस्ताव स्वीकार नही किया गया

मद सं0पू06- चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के अधिकारियो/कर्मचारियों द्वारा विश्वविद्यालय का स्टाफ कार व गाडी का निजी प्रयोग के लिये प्रयोग करने के सन्दर्भ में वसूल की जाने वाली दरो का निर्धारण ।
यद्यपि कुलपति ने तथा निदेशक प्रशासन एवं मानीटरिंग ने अधिकारियों के हितो के लिये बहुत कुछ प्लीड किया परन्तु प्रबन्ध मण्डल के सदस्यो ने नही माना और विश्वविद्यालय की गाडियों को प्राइवेट प्रयोग पूर्णतयः बन्द किये जाने का निर्णय लिया गया ।

25/11/90

क्रमशः -----2

मद सं0पू07- चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के अधिकारियों/कर्मचारियों जिनका स्थानातरण प्रशासनिक दृष्टि से किया जाता है, द्वारा स्थानान्तरण आदेश का पालन न करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिये अधिकार प्रदान करने का प्रस्ताव।

प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया| ~~और भविष्य के लिये निर्देश दिया गया कि ऐसे मामलो पर कार्यवाही से पहले इसे निदेशक प्रशासन एवं मानीटरिंग को दिखा लिया जाय~~।

मद सं0पू08- मथुरा प्रागण के छात्रों की समस्याओं एवं सम्बन्धित प्रशासनिक कार्य हेतु अतिरिक्त अधिष्ठाता छात्र कल्याण एवं प्रभारी अधिकारी सेवायोजन एवं परामर्श बनाने पर विचार।

प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

मद संपू09- पशुचिकित्सा विज्ञान में स्नातक डिग्री रखने वाले शिक्षकों/वैज्ञानिकों को नान-प्रैक्टिसिंग भत्ता स्वीकृत करने पर विचार।

नान प्रैक्टिसिंग भत्ता सिध्दान्त रूप से प्रबन्ध मण्डल को कोई आपत्ति नही हुई परन्तु निर्णय लिया गया कि विस्तृत प्रस्ताव शासन की स्वीकृति तथा शासन से धन उपलब्ध होने पर ही लागू किया जाय।

मद सं0पू010- 50 वर्ष की आयु प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय के अधिकारी/कर्मचारी को उसकी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बिना कोई कारण बताये तीन माह की नोटिस अथवा तीन माह का वेतन देकर जनहित में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाना।

निम्नलिखित संशोधन के साथ प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया।

(1) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारियों में निदेशक प्रशासन एवं मानीटरिंग अध्यक्ष होंगे तथा अर्थ नियंत्रक सदस्य होंगे।

(2) तकनीकी कर्मचारियों में प्रस्ताव पास किया गया।

(3) श्रेणी-।। शिक्षण वर्ग में कुलपति अध्यक्ष होंगे।

(4) श्रेणी-।। शोध एवं प्रसार में कुलपति अध्यक्ष होंगे।

(5) श्रेणी-। के कर्मचारियों के लिये कुलपति अध्यक्ष होंगे और निदेशक प्रशासन एवं मानीटरिंग सचिव होंगे तथा आई0सी0ए0आर0 के नामित बोर्ड के अन्तर्गत अथवा उपकार(उ0प्र0कृषि अनुसंधान परिषद के प्रतिनिधि) को कुलपति सदस्य के रूप में रखेंगे।

समय शारणी में परिवर्तन करने का अधिकार कुलपति को दिया गया। फारमेट में आवश्यकतानुसार संशोधन किया जाय।

मद सं0पू011- Agenda note of the sanction of House Rent of the new Office hired at E.C.F. district under All India Coordinated Agronoic Ressearch Project.

अनुमोदित

[signature] 25/11/90

BS [signature]

P.T.O.

मद सं०पू०13- डा०ढम०एल०महेश्वरी, सह-प्राध्यापक पशुपोषण विभाग वेटनरी कालेज मथुरा द्वारा कुवैत में आयोजित द्वतीय अन्तराष्ट्रीय गोष्ठी में भाग लेने हेतु दि० 1-3-90 से 8-3-90 तक एवं रु०800 के भुगतान की स्वीकृति पर विचार ।
अनुमोदित ।

मद सं०पू०14- डा०एम०शाविर, आचार्य फार्माकालोजी विभाग वेटनरी कालेज मथुरा को दि० 1-8-90 से कार्यभार ग्रहण करनेये जाने विषायक एजेण्डा पर विचार ।
अनुमोदित ।

मद सं०पू०15- डा०इन्द्र भान सिंह, धान अभिजनक को अन्तराष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान मानीला फिलीपाइन्स मे दि० 20-8-90 से 23-11-90 तक प्रशिक्षण में भाग लेने की अनुमति दिये जाने पर विचार ।
अनुमोदित ।

मद सं०पू०16- स्व० डा०जी०एस०राय की मृत्यु के पश्चात परिसर के आवास में उनके परिवार द्वारा रहने की अवधि का किराया सामान्य दर से लेने के प्रकरण पर विचार ।
अनुमोदित ।

मद सं०पू०17- आल इंडिया कोआडिनेटेड रिसर्च प्रोग्राम आन बीड कन्ट्रोल नाम योजना को चालू रखाने की स्वीकृति ।
इस अभ्युक्ति के साथ अनुमोदित की वर्तमान स्टाफ से कार्य कराया जाय तथा कोई नयी नियुक्ति नियमित या दैनिक वेतन पर न की जाय ।

मद०सं०पू०18- मूल नियम 27 वेतन निर्धारिण ।
प्रबन्ध मण्डल ने निर्णय लिया कि अगली बैठक में ऐसे विशिष्ठ मामले प्रबन्ध मण्डल के विचारार्थ रखे जाय तभी निर्णय संभव होगा।

मद सं०पू०19- वर्ष 1989-90 का वास्तविक व्यय ।
वास्तविक व्यय के आकडे वित्त समिति से अनुमोदित करा कर प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदनार्थ रखा जाय ।

मद सं०पू०20- विश्वविद्यालय के शिक्षाको/ कर्मचारियो को चिकित्सा भत्ता रु०25/ के स्थान पर रु०100/- किये जाने के संबंध में ।
10 रुपया प्रति माह भत्ता बढाया जाना स्वीकृत किया गया ।

मद सं०पू०21- प्रबन्ध मण्डल द्वारा वि०वि० के शिक्षाको/कर्मचारियो को भवन एवं वाहन अग्रिम रु०50 लाख स्वीकृत करने अथवा स्टेट बैंक आफ इंडिया से रु०50 लाख कर्ज लेने एवं बैंक व्याज और शासन द्वारा निर्धारित व्याज के डिफरेंस को शासन/विश्वविद्यालय द्वारा वहन करने के संबंध में ।

25/11/90

भवन निर्माण अग्रिम के लिये वित्तीय वर्ष के बजट में प्राविधान करके धन की मॉग शासन से की जाय ।

मद०सं०पू०22- 1-1-86 से वेतन आयोग द्वारा स्वीकृत नये वेतन के अवशेषों का भुगतान धनाभाव के कारण समय से न होने की दशा में कर्मचारियों को मिलने वाला व्याज विश्वविद्यालय द्वारा वहन करने के संबंध में ।
व्याज दिये जाने के ~~मामला~~ औचित्य का शासन के वित्त विभाग को सन्दर्भित किया जाय ।

मद०सं०पू०23- विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को यू०जी०सी०वेतनमान में मकान किराया भत्ता दिये जाने के स्वीकृति पर विचार । मकान किराया भत्ता का प्रकरण स्थगित कर दिया गया क्यो कि मामला पहले से ही शासन में विचाराधीन है । अतः शासन के निर्णय की प्रतीक्षा की जाय ।

अन्य विषय

श्री अतर सिंह, चौ० विक्रम सिंह, डा० किरण सिंह एवं डा०पी०बी०माथुर को एक पत्र निदेशक प्रशासन एवं मानीटरिंग की ओर से भेजा जाय कि ये लोग 14-12-90 एवं 15-12-90 को कानपुर आये तथा विश्वविद्यालय के फार्म इत्यादि देखकर विश्वविद्यालय को अपने अनुभव एवं सुझावों से लाभान्वित करें ।

(हरि नाथ सिंह)
सचिव एवं अर्थ नियंत्रक

(डा० किरण सिंह)

(बी०डी०सिंह)

(डा०पी०बी०माथुर)

(अतर सिंह यादव)

(चौ०विक्रम सिंह)

(उदय बीर सिंह)
कुलपति एवं अध्यक्ष ।